

दिनांक 15.06.2017 को अपराह्न 4:30 बजे अपर सचिव-सह-अध्यक्ष शिकायत निवारण समिति, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न शिकायत निवारण समिति की बैठक की कार्यवाही-

उपस्थिति

- |                               |                                      |           |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1. श्री संजय कुमार सिंह       | - अपर सचिव                           | - अध्यक्ष |
| 2. श्री सुजीत कुमार राय       | - संयुक्त श्रमायुक्त                 | - सदस्य   |
| 3. श्रीमति अरुणा सिन्हा       | - उप निदेशक, नियोजन                  | - सदस्य   |
| 4. डॉ० (श्रीमति) तृप्ति चौधरी | - उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें        |           |
| 5. श्री सतीश कुमार शाही       | - अवर सचिव, प्रशिक्षण पक्ष           |           |
| 6. श्री अरुण कुमार-1          | - अवर सचिव, श्रम पक्ष                |           |
| 7. श्री मुस्तफा मंसूरी        | - प्रशाखा पदाधिकारी- 03 (सरकार पक्ष) |           |
| 8. डॉ० विनायक पद्माकर         | - प्रशाखा पदाधिकारी- 01 (सरकार पक्ष) |           |
| 9. श्री शशि भूषण तिवारी       | - प्रशाखा पदाधिकारी- श्रम पक्ष       |           |
| 10. श्री देवेश कुमार          | - श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी            |           |

कार्यवाही

समिति के समक्ष रक्षित मामलों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों/ प्रतिनिधियों द्वारा निम्न रूप से दी गयी :-

सरकार पक्ष (प्रशाखा-1)

सरकार पक्ष में लंबित मामलों के अनुपालन की स्थिति निम्न है-

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. डा० सी० के० पी० सिंह, संयुक्त सचिव, बीमा चिकित्सा पदा०, सेवा संघ	<u>डायनेमिक ए० सी० पी० संबंधित नई सेवा नियमावली एवं संवर्गीय आवश्यकता आधारित रिक्त पदों पर नियमित प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में-</u> प्रशाखा -1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक द्वारा संवर्गीय प्रोन्नति, नई नियमावली बनाने एवं डायनेमिक ए०सी०पी० से संबंधित नियमावली बनाने हेतु अभ्यावेदन दिया गया है। प्रशाखा-1 द्वारा संवर्गीय पदों पर प्रोन्नति दी जा चुकी है। नई नियमावली बनाने एवं डायनेमिक ए०सी०पी० से संबंधित नियमावली बनाने की कार्रवाई चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय से की जानी है। इस कारण इसे प्रशाखा-1 से विलोपित करते हुए निदेशालय से अद्यतन सूचना की मांग की जा सकती है। समिति द्वारा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (एलोपैथिक) संवर्ग नियमावली -2017 को तैयार करने की कार्रवाई कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय से की जा रही है और वहाँ से कृत कार्रवाई संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ है। अतः इस मामले को प्रशाखा-1 की लंबित सूची से विलोपित करते हुए इसे कर्मचारी राज्य बीमा योजना पक्ष की लंबित सूची में ही दर्शाए जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।
2. श्रीमती प्रीतालाल पति-स्व० डा० ईश्वर लाल भूतपूर्व बीमा चिकित्सा पदा० क० रा० बीमा योजना	<u>मृत्युपरान्त मिलने वाली पावनाओं के संबंध में-</u> प्रशाखा पदा० द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आवेदन पर कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लंबित है। स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में लिखा गया है एवं स्मारित किया गया है। प्रधान सचिव के

	<p>स्तर से पत्रांक-3015 दिनांक- 18.10.2016 द्वारा स्मारित भी किया गया है। पुनः पत्रांक-967 दिनांक 21.04.2017 द्वारा स्मारित किया जा चुका है।</p> <p>प्रशाखा पदा0-1 को निदेश दिया गया कि स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना से समिति को अवगत कराया जाए।</p>
3. श्री कृष्णदेव सिंह सेवानिवृत्त प्रभारी, उप निदेशक, नियोजन, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	<p><b>दिनांक 01.04.1994 के प्रभाव से उप निदेशक, नियोजन के पद पर नियमित प्रोन्नति देने के संबंध में-</b></p> <p>प्रशाखा पदा0-1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिंह के आवेदन के आलोक में उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति विचारणीय है। विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने हेतु संचिका उपस्थापित है।</p> <p>प्रशाखा पदा0-1 को निदेश दिया गया कि मामले का शीघ्र निष्पादन कराते हुए समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।</p>
4. डॉ० कमलेश्वर नारायण अग्रवाल सेवा निवृत्त, क्षेत्र0प्र0चि0 पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार	<p><b>अधिकाल प्रवर कोटि(2.5%) में दिनांक 01.04.1987 से लंबित प्रोन्नति के संबंध में-</b></p> <p>प्रशाखा पदा0-1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा0 अग्रवाल के प्रवर कोटि प्रोन्नति से सम्बन्धित अभ्यावेदन पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। लगभग 42 पदाधिकारी के साथ इनके मामले को रखा जा रहा है। विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तिथि दिनांक- 23.05.2017 को निर्धारित की गई थी। विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा कुछ निदेश के साथ पुनः इस मामले को समिति के समक्ष रखने का निदेश है। निदेश के अनुपालन हेतु संचिका उपस्थापित है।</p> <p>प्रशाखा पदा0-1 को निदेश दिया गया कि मामले का शीघ्र निष्पादन कराते हुए समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।</p>

### श्रम पक्ष

श्रम पक्ष में लंबित मामलों की अनुपालन स्थिति निम्न है-

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. श्री राधा बिहारी प्रसाद सेवानिवृत्त श्रम प्रवर्तन पदा0	<p><b>वेतन विमुक्ति, वेतन वृद्धि तथा ए0सी0पी0 का लाभ देने के संबंध में।</b></p> <p>श्रम पक्ष के पत्रांक-5200 दिनांक-15.12.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति के संबंध में दिनांक 06.10.2016 को सम्पन्न स्कीनिंग समिति की बैठक में इनके मामले को विचारित करते हुए अस्वीकृत करने का निर्णय हुआ है।</p> <p>श्रम पक्ष के पत्रांक-3244 दिनांक 14.06.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है श्री राधा बिहारी प्रसाद के उनके राजगीर, नालन्दा के पदस्थापन काल में लंबित वेतन भुगतान /लंबित वेतन वृद्धि के भुगतान के संबंध में श्रम पक्ष के आदेश ज्ञांपांक-2955 दिनांक 23.05.2017 द्वारा भुगतान नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त आदेश की प्रति संलग्न है।</p> <p>समिति द्वारा श्रम पक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आदेश ज्ञांपांक-2955 दिनांक 23.05.2017 की समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि उक्त आदेश द्वारा श्री प्रसाद के उल्लेखित अवधियों (माह जनवरी 1998 से दिसम्बर 1998 एवं अगस्त</p>

	<p>1999 से नवम्बर 2000 तक) के लंबित वेतन/वार्षिक वेतन वृद्धि के स्वीकृति/भुगतान नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है।</p> <p>श्रम पक्ष से प्राप्त प्रतिवेदनों के आलोक में इस मामले को निष्पादित मानते हुए सूची से विलोपित किये जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।</p>
<p>2. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, श्रम प्रवर्तन पदा० संघ</p> <p>3. श्रीमती हीरा देवी, पति-स्व० फूलन सिंह, सेवानिवृत्त, श्रम प्रवर्तन पदा० ग्राम+पोस्ट-दिघवलिया, जिला-सिवान</p> <p>4. श्री लाल बाबू, सेवानिवृत्त, श्रम प्रवर्तन पदा०</p> <p>5. श्री अजय कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त, श्रम प्रवर्तन पदा०</p> <p>6. श्री जय गोविन्द राम, सेवानिवृत्त, श्रम प्रवर्तन पदा०</p> <p>7. श्री रमाकान्त सिंह, सेवा निवृत्त श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सदर छपरा।</p>	<p><b>सरकारी सेवकों को कनीय/वरीय प्रवर कोटि का लाभ प्रदान करने के एवं श्रम प्रवर्तन पदा० संवर्ग की सेवाशर्त नियमावली के गठन के संबंध में-</b></p> <p>श्रम पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को कनीय/वरीय प्रवर कोटि एवं सुपर टाईम स्केल दिए जाने से संबंधित मामलों में वित्त विभाग की सहमति का मंतव्य प्राप्त किया जाना उचित है। संबंधित संचिका लोकेट हो गई है। निर्णय हेतु श्रमायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है।</p> <p>नियमावली के संबंध में श्रम पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली अधिसूचित कर दी गयी है।</p> <p>अवर सचिव, श्रम पक्ष को निदेश दिया गया कि कनीय /वरीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति से संबंधित मामलों का शीघ्र निष्पादन कराते हुए समिति को अवगत कराया जाए।</p>
<p>8. श्री गोपाल राम सेवा निवृत्त सहायक श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष) बिहार, पटना।</p>	<p><b>सेवान्त लाभ तथा पेंशन संचालित करने के संबंध में</b></p> <p>आवेदक के सेवान्त लाभ एवं पेंशन संचालन के संबंध में श्रम पक्ष के पत्रांक-3244 दिनांक 14.06.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि-</p> <p>1. पेंशन/उपादान की स्वीकृति हेतु श्री राम, सेवानिवृत्त सहायक का पेंशन प्रपत्र एवं अन्य अभिलेख पत्रांक- 844 दिनांक- 07.03.2017 द्वारा महालेखाकार बिहार, पटना को भेजी गई थी। उनका पी०पी०ओ० संख्या-201711161434 एवं 201711161434 G.O. प्राप्त हो गया है। उक्त के आलोक में पत्रांक- 2714 दिनांक 05.05.2017 द्वारा सचिवालय कोषागार पदाधिकारी विकास भवन पटना को बकाया रहित प्रमाण-पत्र भेज दिया गया है।</p> <p>2. गुप बीमा-कार्यालय आदेश संख्या-112 दिनांक 30.01.2017 द्वारा गुप बीमा की राशि का भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। भुगतान भी किया जा चुका है।</p> <p>3. उपार्जित अवकाश- आदेश संख्या-116 दिनांक 13.02.2017 द्वारा अव्यहृत उपार्जित अवकाश कुल 300 सौ दिनों के बदले</p>

